न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर
लिंक सागर संभाग सागर (सागर कैम्प)

नि अ - 976-II-16

कु. सृष्टि समैया उम्र 20 वर्ष बल्द श्री प्रमोद समैया
निवासी रामपुरा वार्ड सागर म.प्र.

....पुनरीक्षणकर्ता

// विरूद्ध //

1. महेन्द्र खटीक वल्द श्री जीवनलाल खटीक
निवासी सूबेदार वार्ड सागर तह. व जिला सागर म.प्र.

2. महेश साहू वल्द श्री गिरधारी लाल साहू
निवासी भगत सिंह वार्ड सागर तह. व जिला सागर म.प्र.

3. कमलेश साहू वल्द स्व.श्री श्याम बिहारी साहू
निवासी जवाहरगंज वार्ड सागर तह. व जिला सागर म.प्र.

4. मध्यप्रदेश शासन

.... अनावेदकगण

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू–राजस्व संहिता 1:59

विद्वान निम्न न्यायालय तहसीदार सागर संभाग सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक 358 अ/6 वर्ष 2014–15 पक्षकार कु.सृष्टि समैया विरूद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य में पारित अंतरिम आदेश दिनॉक 29.02.2016 से पीड़ित होकर यह रिव्हीजन पिटीशन अन्य आधारों के अतिरिक्त निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत करती है :–

प्रकरण के तथ्य

1. यह कि पुनरीक्षणकर्ता ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनॉक 22.5.2015 के द्वारा मौजा अमावनी तहसील व जिला सागर संभाग सागर स्थित खसरा नम्बर 22 रकवा 1.95 हेक्टेयर एवं खसरा नम्बर 29 रकवा 0.04 हेक्टेयर कुल रकवा 1.99 हेक्टेयर भूमि में से .39 हेक्टेयर याने 0.97 एकड़/97 डिसमिल भूमि श्रीमति सतेन्दर जीत मिड्ढा पत्नि श्री जगमोहन सिंह मिड्ढा से क्रय कर असल मालकाना कब्जा प्राप्त किया ।

2. यह कि उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर पुनरीक्षणकर्ता ने अपना नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने हेतु आवेदन पत्र दिनॉक 11.6.2015 को प्रस्तुत किया । उक्त प्रकरण न्यायालय पंजी में प्रकरण क्रमांक 358अ/6

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेष–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेष पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 976–दो/16 जिला सागर

कु. सृष्टि समैया पुत्री प्रमोदकुमार समैया विरूद्ध महेन्द्र खटीक आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
7–9–2016	आवेदक अधिवक्ता श्री महेन्द्र पाटकर एडवोकेट उपस्थित। अनावेदक के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। 2/ आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार सागर के प्रकरण कमांक 358/अ–6/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 29–2–16 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। प्रकरण का संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि आवेदक ने रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 22–5–15 के द्वारा मौजा अमावनी तहसील व जिला सागर स्थित खसरा नम्बर 22 रकवा 1.95 हेक्टेयर एवं खसरा नम्बर 29 रकवा 0.04 हेक्टेयर कुल 1.99 हेक्टेयर में से 0.39 हेक्टेयर याने एक एकड़ भूमि कय कर कब्जा प्राप्त किया। उक्त रजिस्टर्ड विकय पत्र के आधार पर अपना नाम दर्ज करने हेतु निम्न न्यायालय में दिनांक 11–6–2015 को आवेदन प्रस्तुत किया। उक्त नामांतरण प्रकरण में अनावेदक कमांक 1 से 3 ने आपत्ति प्रस्तुत की तथा धारा 32 म0प्र0 भू–राजसव संहिता का आवेदन प्रस्तुत कर अपंजीकृत इकरारनामा के आधार पर सिविल न्यायालय में प्रस्तुत वाद के अंतिम निराकरण तक नामांतरण कार्यवाही रोके जाने की प्रार्थना की। निम्न न्यायालय ने आदेश दिनांक 10–7–15 को उक्त आवेदन सिविल न्यायालय द्वारा नामांतरण पर स्थगन आदेश न दिये जाने के कारण निराकृत कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण ने इस न्यायालय में निगरानी कमांक 2232–एक/15 प्रस्तुत की जो दिनांक 16–7–15 के द्वारा ग्राह्य नहीं कर निरस्त कर दी गई, परन्तु उसमें उभय पक्षों कोसुने बिना यह निर्देश दिये गये कि आवेदकगण को निर्देशित किया जाता है कि वे व्यवहार न्यायालय से संबंधित प्रमाणित दस्तावेज तहसीलदार सागर के समक्ष प्रचलित कार्यवाही में प्रस्तुत करें।	

निग॰-976-पी/16

कतहसीलदार को निर्देशित किया गया कि वे उभय पक्षों को सुनवाई का अवसर देते हुये व्यवहार न्यायालय के दस्तावेजों के परिप्रेक्ष्य में उल्लिखित खसरा नम्बर एवं दस्तावेज के नामांतरण प्रकरण में उल्लिखित खसरा नम्बरों में समानता पायी जाती है तो नामांतरण की कार्यवाही व्यवहार न्यायालय के आदेश तक स्थगित रखी जावे।

3/ अनावेदक महेन्द्र खटीक आदि ने निम्न न्यायालय के समक्ष कोई दस्तावेज पेश नहीं किये एवं न ही आवेदन पर तर्क प्रस्तुत किये। आवेदक ने निम्न न्यायालय के समक्ष दिनांक 24–2–16 को धारा 151 सी.पी.सी. का आवेदन प्रस्तुत प्रार्थना की कि राजस्व मण्डल ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–7–15 का पालन कर प्रकरण में सुनवाई कर आदेश पारित किया जावे। आवेदक ने उक्त आवेदन पर तहसीलदार द्वारा आदेश पारित कर दिनांक 29–2–16 को प्रकरण सिविल न्यायालय ने अंतिम निराकरण तक उक्त नामांतरण नामांतरण प्रकरण स्थगित कर दिया, इसी कारण यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

4/ प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदकगण द्वारा इस न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देश दिनांक 16–7–15 के पालन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये एवं न ही निम्न न्यायालय से उक्त आवेदन के निराकरण हेतु पहल की, फिर भी तहसीलदार ने धारा 151 के आवेदन के परिप्रेक्ष्य में आवेदक के विरूद्ध आदेश पारित कर नामांतरण प्रकरण स्थगित कर दिया। तहसीलदार का उक्त आदेश त्रुटिपूर्ण है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 109/110 के तहत प्रस्तुत नामांतरण कार्यवाही सिविल प्रकरण के निराकरण तक स्थगित नहीं की जा सकती है। सिविल न्यायालय के निराकरण में काफी समय लगेगा। विवादित भूमि पर मृत सतेन्दरजीत का नाम वर्तमान में दर्ज है। उक्त भूमि सतेन्दरजीत से रजिस्टर्ड विकय पत्र द्वारा आवेदक ने कय की है तथा अनावेदक अपंजीकृत इकरारनामे के आधार पर उक्त भूमि का दावा कर रहा है। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि नामांतरण की कार्यवाही के दौरान सिविल वाद प्रस्तुत करने एवं स्थगन लाने के लिए तीन माह तक कार्यवाही रोके जाने का प्रावधान है, परन्तु जब सिविल न्यायालय

तक कार्यवाही रोके जाने का प्रावधान है, परन्तु जब सिविल न्यायालय से किसी प्रकार का स्थगन न हो तो राजस्व न्यायालय को सिविल न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 52(2) के अनुसार स्थगन एक बार में अधिकतम तीन माह से अधिक नहीं दिये जा सकता है, परन्तु तहसीलदार ने नामांतरण की कार्यवाही प्रकरण के निराकरण स्थगित रखने में त्रुटि की है।

इस प्रकरण में अनावेदकगण ने सिविल न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर नामांतरण पर स्थगन की मांग की थी जो सिविल न्यायालय द्वारा दिनांक 4–9–15 को निरस्त कर दी गई है, अतः स्पष्ट है कि सिविल न्यायालय ने नामांतरण कार्यवाही पर स्थगन नहीं दिया है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय को नामांतरण कार्यवाही स्थगित नहीं करना थी। आवेदक द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर अनावेदकगण द्वारा व्यवहार न्यायालय से किसी प्रकार का स्थगन प्राप्त न कर सकने एवं उसे तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किये बिना तहसीलदार ने अंतरिम आदेश दिनांक 29–2–16 द्वारा उक्त नामांतरण कार्यवाही स्थगित कर दी है, अतः उक्त आदेश त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त किया जाता है। निगरानी स्वीकार की जाकर प्रकरण तहसीलदार सागर को इस निर्देश के साथ के प्रत्यावर्तित किया जाता है कि म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 109/110 के प्रावधानों के अनुक्रम में नामांतरण की कार्यवाही संपादित की जाये। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

सदस्य